

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर, मुकाम...खीवसर...

कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

घेवरराराम बनाम सरकार

मु. नं. 06 सन्. 2022.

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम तामील जारी हुए
21.02.2022	<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध किस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशाल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 30. 03.2022 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी खीवसर</p>	
30/3/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 28/4/22 को पेश होगी।</p>	
28/4/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 17/5/22 को पेश होगी।</p>	
17/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 21/6/22 को पेश होगी।</p>	
21/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 12/7/22 को पेश होगी।</p>	
12/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली आगामी दिनांक को 2/8/22 को पेश होगी।</p>	

FORM No. III

APP-A
Crime-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जालत मुकाम

द्वैपरराम बनाम राधकृष्णर परिणतवर

कदमा नं. 06/22 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11-11-22

पत्रावली पेश हुई। अनुत्तरात् उपर।
वादी - प्रतिवादी को बार-बार व्यापारिक
गोरे में आवाज दी गयी, मगर गौर
हाजिर, बार-बार आवाज देने के पश्चात
भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए
उत्तरे किराए एवं पक्षीय आदिवादी अमल
में लाम्बी जाती हैं तथा उक्त प्रकरण को
अदम परवी - अदम हाजरी में खारिज
किया जाय है। वादी के निवेदन पर प्रश्न:
Reopen / Restore किया जा सकता है।
पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर नम्बर
के क्रम होकर बाद जीसा दारिकल रफ़्त
ही।


उपखण्ड अधिकारी
खीवसर

द्वैपरराम